परियोजना-9

वार्षिक कला प्रदर्शनी की परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

1 हिमाचल प्रदेश के कलाकारों की पहचान बाहर के राज्यों के कलाकारों में बनाना ।
2 विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियों को देख कर ज्ञान वर्धन करना ।
3 भारत में कला के क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की जानकारी हिमाचल के कालाकारों को दिलाना ।

2 प्रक्रिया :

1 प्रति वर्ष समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सम्पर्क स्थापित करके भारत भर के कलाविदों की कलाकृतियों को आमंत्रित कर प्रदर्शनी लगाना ।
2 गुणी कलाकारों की एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें आवश्यक रूप से एक हिमाचल का स्थाई निवासी कलाकार सदस्य होगा ।
3 यह चयन समिति कलाकृतियों का चयन करेगी।
4 चयनित कलाकृतियों में कम से कम 40 प्रतिशत कृतियां हिमाचली कलाकारों की होंगी ।
5 चयन समिति का कोई भी सदस्य अपनी या अपने सम्बन्धियों की कलाकृतियों को प्रदर्शित नहीं करवायेगा ।
6 यही चयन समिति 4 कलाकृतियों को सर्वोच्च घोषित करेगी जिसमें से दो हिमाचली कलाकारों की तथा दो बाहर के कालाकरों की होगी ।
7 सर्वोत्कृष्ट घोषित कलाकृतियों को 1,000/- रुपये प्रति कलाकृति सम्मान स्वरूप दिये जायेंगे ।
8 प्रदर्शित चित्रों/कृतियों का कलाकार यदि प्रदर्शनी में आना चाहे तो अपने खर्च पर आ सकता है ठहरने का प्रबनध पूर्व सूचना मिलने पर विभाग द्वारा किया जा सकता है ।

3 धन राशि :

1 चयन समिति के सदस्यों को प्रथम श्रेणी रेल के तीन किराये या डीलक्स बस के तीन किराये दिये जायेंगे ।
2 चयन समिति के सदस्यों को प्रत्येक सदस्य 300/- रुपये का पारिश्रमिक दिया जायेगा ।
3 चयन समिति के दस दस्यों के ठहरने का प्रबन्ध तथा उन पर होने वाला व्यय, विभाग द्वारा किया जाएगा ।
4 उनके भोजन आदि पर 30/- रुपये प्रति सदस्य विभाग द्वारा व्यय किये जायेंगे । इसमें स्थानीय सदस्य भी शामिल होंगे ।
5 प्रदर्शित संग्रह में से अकादमी कुछ धनराशि निश्चित करके चित्रों की खरीद करेगी तथा उसके बाद उन्हें विभिन्न विभागों/निगमों को बेचेगी ।